<u>कार्यालय जिलाधिकारी, मेरठ।</u>

<u>प्रेस–विज्ञप्ति</u>

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उत्तर प्रदेश स्टाम्प (सम्पत्ति का मूल्यांकन) नियमावली, 1997 एवं द्वितीय संशोधन, नियमावली, 2013 के नियम 4 (1) के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत कलेक्टर, मेरठ द्वारा जनपद मेरठ के समस्त उप निबन्धक कार्यालयों के क्षेत्राधिकारों में प्रभावी वर्तमान मूल्यांकन दर–सूची में त्रुटि व युक्ति युक्त संशोधन करते हुए दिनांक 01.08.2019 से पुनरीक्षित मूल्यांकन दर–सूची प्रभावी की जानी है। समिति के सम्यक् विचारोपरान्त जनपद मेरठ अन्तर्गत राजस्व ग्रामों में अवस्थित आवासीय/कृषि भूमि आदि की सर्किल दर बाजारू दर के समतुल्य पाई गई। समिति द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार माह अगस्त, 2019 से प्रभावी मूल्यांकन दर–सूची की प्रस्तावित मूल्यांकन सूची में तहसील मवाना जनपद मेरठ की कतिपय असमानताओं (जिनका विवरण निम्नवत् है) व जनपद की निर्माण की दरों को अन्य जनपदों की प्रभावी दरों के सापेक्ष युक्ति युक्त रखा गया है :

01. <u>तहसील मवाना जनपद मेरठ के अन्तर्गत निम्नलिखित मौहल्ले की दरों में असमानता दूर की गई है :</u>

क्र. सं.	दर–सूची की पृष्ठ संख्या/क्रमांक	राजस्व ग्राम/मौहल्ले का नाम	प्रचलित दर			प्रतिस्थापित		
			9 मीटर तक की सड़क पर	9 से 18 मीटर तक सड़क पर	18 मीटर से अधिक सड़क पर	9 मीटर तक की सड़क पर	9 से 18 मीटर तक सड़क पर	18 मीटर से अधिक सड़क पर
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	02/21	प्रीत नगर	9200	9500	**9000**	9200	9500	**9800**
02	02/23	प्रतिभा कॉलोनी	9000	**9000**	**9500**	9000	**9500**	**10000**
03	02/25	पैराडाईज़ एन्कलेव	5000	5500	**5500**	5000	5500	**6000**
04	06/13	सुभाष चौक	6700	**6000**	**6500**	6700	**7000**	**7200**
05	13/56	ढिकौली नगरीय	6200	6500	**6500**	6200	6500	**6700**
06	25/122	सादुल्लापुर बांगर	1200	**1200**	1400	1200	**1300**	1400

02. मवाना खुर्द में कारपेट ऐरिया की दर टंकण त्रुटि के कारण पूर्व प्रचलित दर का 20,000 के स्थान पर 5,000 अंकित हो गया जिसे संशोधित किया गया है।

03. तीन मंजिला तक गैर वाणिज्यिक भवनों की विभिन्न श्रेणी के निर्माण की दरें :

क्र. सं.	निर्माण की श्रेणी छत के आधार पर	निर्माण की अधिवर्षता आयु	प्रचलित दर (अन्य जनपदों से कम है)		प्रतिस्थापित दर	
			प्रथम श्रेणी के निर्माण की दर कवर्ड एरिया के अनुसार प्रति वर्गमीटर	द्वितीय श्रेणी के निर्माण की दर कवर्ड एरिया के अनुसार प्रति वर्गमीटर	प्रथम श्रेणी के निर्माण की दर कवर्ड एरिया के अनुसार प्रति वर्गमीटर	द्वितीय श्रेणी के निर्माण की दर कवर्ड एरिया के अनुसार प्रति वर्गमीटर
1	2	3	4	5	6	7
1	आर०सी०सी०	80 वर्ष	11000	9000	13000	11500
2	आर०बी०सी०	60 वर्ष	9000	7000	11500	9000
3	कड़ी, गर्डर पटिया, डाट	50 वर्ष	6500	6000	8000	7500
4	टिनशेड, एस्बेस्टस शेड, फाइबर शेड	40 वर्ष	4500	4000	6000	5500
5	कच्चा, छप्पर, खपरैल	30 वर्ष	2500	2500	3000	2500

मूल्यांकन दर–सूची के पुनरीक्षण प्रस्ताव समस्त उप निबन्धक कार्यालयों व जनपद मेरठ की एन.आई. सी. की वैबसाईट (www.meerut.nic.in) में प्रकाशित करा दी गई है, जिससे सम्यक् विचारोपरान्त सर्किल दर–सूची को अंतिम रूप दिया जाए। अतः सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि प्रस्तावित मूल्यांकन दर–सूची के सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति की कोई आपत्ति/सुझाव हो तो ऐसी आपत्ति/सुझाव को लिखित रूप में, अभिलेखीय साक्ष्य, यदि कोई हो, सहित किसी कार्य दिवस में दिनांक 31.07.2019 तक अपर जिलाधिकारी (वित्त/राजस्व), मेरठ या सहायक महानिरीक्षक निबन्धन, मेरठ या सम्बन्धित उप निबन्धक कार्यालय में प्रस्तुत की जा सकती है। मूल्यांकन दर–सूची के पुनरीक्षण प्रस्ताव की प्रति अपर जिलाधिकारी (वित्त/राजस्व), मेरठ, सहायक महानिरीक्षक निबन्धन, मेरठ व जनपद मेरठ की एन.आई.सी. की वैबसाईट (www.meerut.nic.in) पर अथवा सम्बन्धित उप निबन्धक कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस में निरीक्षित की जा सकती हैं।

आज्ञा से,

(सुभाषचन्द्र प्रजापति)
अपर जिलाधिकारी (वित्त/राजस्व),
मेरठ।

No 1926/SC/2019-20

प्रतिलिपि : निम्नांकित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

01. जिलाधिकारी, मेरठ को अवलोकनार्थ।
02. जिला सूचना अधिकारी, मेरठ को दैनिक समाचार पत्र में निशुल्क प्रकाशित कराने हेतु।
03. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, मेरठ को जनपद मेरठ की वैबसाईट www.meerut.nic.in पर प्रदर्शित करने हेतु।

(सुभाषचन्द्र प्रजापति)
अपर जिलाधिकारी (वित्त/राजस्व),
मेरठ।

NIC 27.07.19